न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

A11/1

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 132/2017

1. हरलाज सिंह पुत्र श्री परमजीत सिंह जाति जटसिख साकिन 3 एफ छोटी (साहूवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अभयजीत सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख साकिन 3 एफ छोटी (साहूवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. हरदीप सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख साकिन साहूवाला तहसील श्रीगंगानगर
2. सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह साकिन साहूवाला तहसील श्रीगंगानगर
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन 9 एफ एफ (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.07.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को परिवार की उत्तराधिकारी से कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त सम्पत्ति से अर्जित आय से से भी कृषि भूमि क्रय वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से अंकित करवाई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. चक 2 जी छोटी प्रथम का खाता संख्या 14/14 का मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.162 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला में से जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह के नाम से दर्ज 2.458 हैक्टर भूमि।
2. चक 2 जी छोटी प्रथम का खाता संख्या 15/15 का मुरब्बा नम्बर 26 व 33 की कुल 12.081 हैक्टर नहरी मय खाला में से जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह के नाम से दर्ज 4.580 हैक्टर व हरदीप सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह के नाम से दर्ज 2.011 हैक्टर व परमजीत सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह के नाम से दर्ज 4.022 हैक्टर भूमि।
3. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 13/11 का मुरब्बा नम्बर 37 की 1.075 हैक्टर जो हरदीप सिंह उर्फ रणजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह व सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

A11/2 ✓

4. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 19/17 का मुरब्बा नम्बर 36 व 37 की कुल 7.149 हैक्टर कृषि भूमि में से हरदीप सिंह उर्फ रणजीत सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह के नाम से दर्ज 0.922 हैक्टर व सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 1.113 हैक्टर कृषि भूमि।
5. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 20/22 का मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.150 हैक्टर कृषि भूमि जो हरदीप सिंह उर्फ रणजीत सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह व सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिह के नाम से दर्ज है।
6. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 70/66 का मुरब्बा नम्बर 37 की 2.150 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.632 हैक्टर कृषि भूमि।
7. चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 86/80 का मुरब्बा नम्बर 8, 19, 22, 35 व 37 की कुल 7.083 हैक्टर में से सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 6.324 हैक्टर, हरलाज सिंह पुत्र श्री परजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.380 हैक्टर व अभयजीत सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह के नाम से दर्ज 0.379 हैक्टर कृषि भूमि।
8. चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 98/89 का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 6.325 हैक्टर में से सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.790 हैक्टर कृषि भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का अपनी आपसी सहमति से काफी अर्सा पूर्व घरू तौर पर आपसी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा के अनुसार वादीगण को चक 2 जी छोटी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 27, 26 व 33, चक 7 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 व चक 3 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 13 में से कृषि भूमि प्राप्त हुई है, जिस पर वादीगण पिछले काफी समय से शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं तथा काश्त कर रहे है। वादीगण ने बड़ी मेहनत करके व धन खर्च करके उक्त रकबा को काश्त योग्य बनाया है।

वादीगण अपने हिस्सा की भूमि में और अधिक सुधार कार्य करवाना चाहते है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहुलियतों का लाभ उठाना चाहते है, मगर राजस्व रिकार्ड में जो भूमि वादीगण के कब्जा में है, वह वादीगण के नाम से दर्ज न होने के कारण वादीगण ना तो ज्यादा सुधार कार्य करवा पा रहें है तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर विवाद बना रहता है, इसलिए वादीगण उक्त वर्णित कब्जानुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार बंटवारा करवाकर अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहें, दिनांक 01.07.2017 को उन्होने सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र दो प्रतियों में पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. यह कि वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके कब्जा काश्त की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, खाता विभाजन की डिक्री जारी की जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री रोबिन गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A11/3

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा के आधार पर वाद निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं :–

1. चक 2 जी छोटी प्रथम का खाता संख्या 14/14 का मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.162 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला में से जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह के नाम से दर्ज 2.458 हैक्टर भूमि में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिह को 2.024 हैक्टर बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 3 जितेन्द्र सिंह को 0.434 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।
2. चक 2 जी छोटी प्रथम का खाता संख्या 15/15 का मुरब्बा नम्बर 26 व 33 की कुल 12.081 हैक्टर नहरी मय खाला में से जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह के नाम से दर्ज 4.580 हैक्टर भूमि व हरदीप सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह के नाम से दर्ज 2.011 हैक्टर व परमजीत सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह के नाम से दर्ज 4.022 हैक्टर में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिह को 3.180 हैक्टर का बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 3 जितेन्द्र सिंह को 1.400 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।
3. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 13/11 का मुरब्बा नम्बर 37 की 1.075 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह को खातेदार घोषित किया जावे।
4. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 19/17 का मुरब्बा नम्बर 36 व 37 की कुल 7.149 हैक्टर कृषि भूमि में से हरदीप सिंह उर्फ रणजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.922 हैक्टर व सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 1.113 हैक्टर कृषि भूमि में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिंह को 0.923 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह को 0.922 हैक्टर भूमि का व सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह को 0.190 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।
5. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 20/22 का मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.150 हैक्टर कृषि भूमि में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिंह को 0.822 हैक्टर का बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह को 1.075 हैक्टर का, प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह को 0.253 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।
6. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 70/66 का मुरब्बा नम्बर 37 की 2.150 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.632 हैक्टर कृषि भूमि का वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे।
7. चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 86/80 का मुरब्बा नम्बर 8, 19, 22 व 35 की कुल 7.083 हैक्टर में से सतपालसिंह पुत्र सुरजीतसिंह के नाम से दर्ज 6.324 हैक्टर हरलाज सिंह पुत्र परमजीतसिंह के नाम से दर्ज, 0.380 व अभयजीत सिंह पुत्र हरदीपसिंह के नाम से दर्ज 0.379 हैक्टर कृषि भूमि का वादीगण हरलाजसिंह व अभयजीतसिंह को खातेदार घोषित किया जावे।
8. चक 3 एफ छोटी का खाता सं0 98/89 का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 6.325 हैक्टर में से सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.790 हैक्टर में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयर्जीत सिंह 0.410 हैक्टर भूमि का बहिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल सिंह 0.380 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।

लगातार 4

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का कोई प्रतिवादी नहीं होनें व लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीगण एवम् प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :–

1. चक 2 जी छोटी प्रथम का खाता संख्या 14/14 का मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.162 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला में से जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह के नाम से दर्ज 2.458 हैक्टर भूमि में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिह को 2.024 हैक्टर बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 3 जितेन्द्र सिंह को 0.434 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है।
2. चक 2 जी छोटी प्रथम का खाता संख्या 15/15 का मुरब्बा नम्बर 26 व 33 की कुल 12.081 हैक्टर नहरी मय खाला में से जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह के नाम से दर्ज 4.580 हैक्टर भूमि व हरदीप सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह के नाम से दर्ज 2.011 हैक्टर व परमजीत सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह के नाम से दर्ज 4.022 हैक्टर में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिह को 3.180 हैक्टर का बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 3 जितेन्द्र सिंह को 1.400 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है।
3. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 13/11 का मुरब्बा नम्बर 37 की 1.075 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है।
4. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 19/17 का मुरब्बा नम्बर 36 व 37 की कुल 7.149 हैक्टर कृषि भूमि में से हरदीप सिंह उर्फ रणजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.922 हैक्टर व सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 1.113 हैक्टर कृषि भूमि में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिंह को 0.923 हैक्टर भूमि का बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह को 0.922 हैक्टर भूमि का व सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह को 0.190 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
5. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 20/22 का मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 2.150 हैक्टर कृषि भूमि में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिंह को 0.822 हैक्टर का बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह को 1.075 हैक्टर का, प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह को 0.253 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है।

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

A11/5

6. चक 7 ए छोटी प्रथम का खाता संख्या 70/66 का मुरब्बा नम्बर 37 की 2.150 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.632 हैक्टर कृषि भूमि का वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे।
7. चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 86/80 का मुरब्बा नम्बर 8, 19, 22 व 35 की कुल 7.083 हैक्टर में से सतपालसिंह पुत्र सुरजीतसिंह के नाम से दर्ज 6.324 हैक्टर हरलाज सिंह पुत्र परमजीतसिंह के नाम से दर्ज, 0.380 व अभयजीत सिंह पुत्र हरदीपसिंह के नाम से दर्ज 0.379 हैक्टर कृषि भूमि का वादीगण हरलाजसिंह व अभयजीतसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है।
8. चक 3 एफ छोटी का खाता संख्या 98/89 का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 6.325 हैक्टर में से सतपाल सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह के नाम से दर्ज 0.790 हैक्टर में से वादीगण हरलाज सिंह व अभयजीत सिंह 0.410 हैक्टर भूमि का बहिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल सिंह 0.380 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.07.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर